

मांग संख्या 15
मुख्य शीर्ष 4515

मद क्रमांक 1

राज्य के गैर पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि वाले 3 जिलों - रायपुर, दुर्ग एवं जांजगीर चांपा में निम्नानुसार कार्य करवाये जाने हेतु राशि रूपये 360.00 लाख का व्यय संभावित है :-

1. गली क्रांकीटीकरण
2. निर्मलाघाट निर्माण
3. मुक्तिधाम
4. उप स्वास्थ्य केन्द्र (बाउण्ड्रीबाल सहित)
5. पंचायत भवन सह उचित मूल्य की दुकान
6. आंगनवाड़ी भवन(बाउण्ड्रीबाल सहित)
7. कांजी हाउस भवन(बाउण्ड्रीबाल सहित)
8. उचित मूल्य की दुकान
9. हाईस्कूल भवन

अतः इस प्रयोजन हेतु अपरीक्षित नवीन मद के रूप में रूपये 3,60,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 2

राज्य के पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि वाले जिलों में पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हेतु रूपये 500.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु अपरीक्षित नवीन मद के रूप में रूपये 5,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 3

पांच हजार से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायतों को रूपये 25.00 लाख के हिसाब से मूलभूत कार्यों के लिए अनुदान देने हेतु रूपये 222.00 लाख का व्यय संभावित है । इस राशि से ग्राम पंचायतों में क्रांकीट मार्ग, शेड निर्माण तथा नाली निर्माण किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु अपरीक्षित नवीन मद के रूप में रूपये 2,22,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 4

छत्तीसगढ़ के महापुरुषों के जन्मस्थली तथा छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को विकसित करने हेतु अधोसंरचना मद में रूपये 240.00 लाख का व्यय संभावित है । इस राशि से गली क्रांकीटीकरण, सामुदायिक भवन, आंगनवाड़ी भवन, निर्मलाघाट, उचित मूल्य दुकान, उपस्वास्थ्य केन्द्र तथा पंचायत सह उचित मूल्य दुकान का निर्माण किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु अपरीक्षित नवीन मद के रूप में रूपये 2,40,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मांग संख्या 30
मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 1 से 4

भारत सरकार द्वारा पोषित पिछड़ा क्षेत्र अनुदान योजना के क्रियान्वयन हेतु 07 पदों के निर्माण के सृजन के लिये वेतन, भत्तों आदि हेतु राशि रूपये 15.00 लाख का व्यय संभावित है ।

पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	संख्या
1	अपर संचालक	14300-18300	01
2	स्टेनोग्राफर	4500-7000	01
3	लेखापाल	4000-6000	01
4	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	3050-4590	01
5	वाहन चालक	3050-4590	01
6	भृत्य	2550-3200	02
		योग	07

अतः इस प्रयोजन हेतु अपरीक्षित नवीन मद के रूप में राशि रूपये 15,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष 4515

मद क्रमांक 5

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय विकास प्रशिक्षण केन्द्र, कुरुद, जिला धमतरी के लिये भवन, प्रशिक्षण कक्ष, सेमिनार हॉल, ग्रंथालय एवं हॉस्टल निर्माण हेतु राशि रूपये 168.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु अपरीक्षित नवीन मद के रूप में राशि रूपये 1,68,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 6

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गों पर 18 नवीन पुलों के निर्माण हेतु राशि रूपये 500.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु अपरीक्षित नवीन मद के रूप में राशि रूपये 5,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मांग संख्या 41
मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 1

विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजातियों के लिये आवास निर्माण हेतु राशि रूपये 1500.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु अपरीक्षित नवीन मद के रूप में राशि रूपये 15,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मांग संख्या 59
मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 1

यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायत कर्मियों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिये राशि रूपये 200.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु अपरीक्षित नवीन मद के रूप में राशि रूपये 2,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मांग संख्या 80
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

1. राज्य में संचालित 212 पूर्व माध्यमिक स्कूलों का हाई स्कूल में तथा 109 हाई स्कूलों का हायर सेकण्ड्री स्कूल में उन्नयन हेतु शिक्षा कर्मियों के वेतन भत्ते आदि के लिये राशि रूपये 1000.00 लाख का व्यय संभावित है ।

2. राज्य में संचालित 150 स्कूलों में वाणिज्य संकाय एवं 10 स्कूलों में विज्ञान संकाय प्रारंभ करने हेतु शिक्षा कर्मियों के वेतन भत्ते के लिये राशि रूपये 1138.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 21,38,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 2 से 3

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की मासिक पत्रिका 'पंचमन' के संपादन हेतु राशि रूपये 3.50 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में राशि रूपये 3,50,000 का प्रावधान किया गया है ।

मुख्य शीर्ष 4515

मद क्रमांक 4

राज्य के गैर पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि वाले 5 जिलों में निम्नानुसार कार्य करवाये जाने हेतु राशि रूपये 1500.00 लाख का व्यय संभावित है :-

1. गली क्रांकीटीकरण
2. निर्मलाघाट निर्माण
3. मुक्तिधाम
4. उप स्वास्थ्य केन्द्र (बाउण्ड्रीबाल सहित)
5. पंचायत भवन सह उचित मूल्य की दुकान
6. आंगनवाड़ी भवन(बाउण्ड्रीबाल सहित)
7. कांजी हाउस भवन(बाउण्ड्रीबाल सहित)
8. उचित मूल्य की दुकान

अतः इस प्रयोजन हेतु अपरीक्षित नवीन मद के रूप में रूपये 15,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 5

राज्य के रोजगार गारंटी योजना वाले जिलों में पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हेतु रूपये 1900.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु अपरीक्षित नवीन मद के रूप में रूपये 19,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 6

पांच हजार से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायतों को रूपये 25.00 लाख के हिसाब से मूलभूत कार्यों के लिए अनुदान देने हेतु रूपये 925.00 लाख का व्यय संभावित है । इस राशि से ग्राम पंचायतों में क्रांकीट मार्ग, शोड निर्माण तथा नाली निर्माण किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु अपरीक्षित नवीन मद के रूप में रूपये 9,25,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 7

छत्तीसगढ़ के महापुरुषों के जन्मस्थली तथा छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को विकसित करने हेतु अधोसंरचना मद में रूपये 1000.00 लाख का व्यय संभावित है । इस राशि से गली क्रांकीटीकरण, सामुदायिक भवन, आंगनवाड़ी भवन, निर्मलाघाट, उचित मूल्य दुकान, उपस्वास्थ्य केन्द्र तथा पंचायत सह उचित मूल्य दुकान का निर्माण किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु अपरीक्षित नवीन मद के रूप में रूपये 10,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मांग संख्या 82
मुख्य शीर्ष 4515

मद क्रमांक 1

राज्य के गैर पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि वाले 5 जिलों में निम्नानुसार कार्य करवाये जाने हेतु राशि रूपये 1140.00 लाख का व्यय संभावित है :-

1. गली क्रांकीटीकरण
2. निर्मलाघाट निर्माण
3. मुक्तिधाम
4. उप स्वास्थ्य केन्द्र (बाउण्ड्रीबाल सहित)
5. पंचायत भवन सह उचित मूल्य की दुकान
6. आंगनवाड़ी भवन(बाउण्ड्रीबाल सहित)
7. कांजी हाउस भवन(बाउण्ड्रीबाल सहित)
8. उचित मूल्य की दुकान

अतः इस प्रयोजन हेतु अपरीक्षित नवीन मद के रूप में रूपये 11,40,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 2

राज्य के रोजगार गारंटी योजना वाले जिलों में पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हेतु रूपये 1400.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु अपरीक्षित नवीन मद के रूप में रूपये 14,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 3

पांच हजार से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायतों को रूपये 25.00 लाख के हिसाब से मूलभूत कार्यों के लिए अनुदान देने हेतु रूपये 703.00 लाख का व्यय संभावित है । इस राशि से ग्राम पंचायतों में क्रांकीट मार्ग, शेड निर्माण तथा नाली निर्माण किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु अपरीक्षित नवीन मद के रूप में रूपये 7,03,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 4

छत्तीसगढ़ के महापुरुषों के जन्मस्थली तथा छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को विकसित करने हेतु अधोसंरचना मद में रूपये 760.00 लाख का व्यय संभावित है । इस राशि से गली क्रांकीटीकरण, सामुदायिक भवन, आंगनवाड़ी भवन, निर्मलाघाट, उचित मूल्य दुकान, उपस्वास्थ्य केन्द्र तथा पंचायत सह उचित मूल्य दुकान का निर्माण किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु अपरीक्षित नवीन मद के रूप में रूपये 7,60,00,000 का प्रावधान किया गया है ।